न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री राधेश्याम आर.ए.एस.

मुकदमा सं. 12/2020

दायरा दिनांक :– 08.09.2020

सायल

1. सुमन कंवर धर्म पत्नी स्वर्गीय जोधसिंह
2. अजीतसिंह पुत्र स्व. जोधसिंह
3. गणपतसिंह पुत्र स्व. जोधसिंह जाति राव निवासीगण नारलाई तह. देसूरी जिला पाली

बनाम

गैर सायल

1. तखतसिंह पुत्र जोधसिंह
2. दलपतसिंह पुत्र जोधसिंह
3. योगिता कुंवर पत्नी जोधसिंह
4. रसाल कंवर पत्नी जोधसिंह
5. सुरजीतसिंह पुत्र जोधसिंह
6. हुकमकंवर पुत्री जोधसिंह तमाम जाति राव निवासीगण नारलाई तह. देसूरी जिला पाली
7. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारी देसूरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–
(1) अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपूरोहित उपस्थित
(2) राजकीय पेरोकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 07/01/21

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम तहसीलदार देसूरी के आदेश दिनांक 31.07.2019 जो सुजाराम ग्राम के म्यूटेशन संख्या 148 को स्वीकृत करने संबंधी पारित किया है। उस आदेश के विरूद्ध यह अपील इस अदालत में पेश हुई, जो बाद जांच अपील दर्ज की गई रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी किया, बाद तामिल नोटिस रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित। उनके विरूद्ध एकतरफा आदेश दिया तथा सम्बन्धित म्यूटेशन संख्या 148 तहसीलदार देसूरी से तलब किया गया। अपीलाण्ट को सुना गया। ग्राम सुजापुरा तहसील देसुरी के खसरा नम्बर 94 रकबा 6.5700 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल तथा खसरा नम्बर 95 रकबा 5.5800 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में 1/2 हिस्सा जोधसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा दर्ज था। जोधसिंह के देहान्त पर एक मात्र वारिश अपीलाण्ट थे लेकिन हल्का पटवारी ने रेस्पोडेण्ट

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

संख्या 1 से 6 का नाम दर्ज करके म्यूटेशन भर दिया और अधिनस्थ तहसीलदार ने स्वीकृत कर दिया। जबकि राजस्व निरीक्षक ने म्यूटेशन में इस बात का नोट लगाकर उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निर्णय करने लिए तहसीलदारजी के पास भेजा, जबकि अधिनस्थ तहसीलदार ने विधिक वारिशान की बिना जांच किय ही यह म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया जो राजस्व निरीक्षक नाडोल की टिप्पणी के प्रतिकूल है। जिसे निरस्त करना लाजमी है। यही नही मृतक संबंधी म्यूटेशन स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है जबकि यहां म्यूटेशन दिनांक 29.07.2019 को भरा गया तथा दिनांक 30.07.2019 को आर.आई की रिपोर्ट आ चुकी थी और दिनांक 31.07.2019 को तीन दिन में ही म्यूटेशन स्वीकार कर लिया जबकि 45 दिन तक ग्राम पंचायत को अधिकार है और 45 दिन में निर्णय ग्राम पंचायत नही करे तो तहसीलदार को अधिकार रहता है लेकिन यहां ग्राम पंचायत के अधिकार तहसीलदार ने अपने स्तर पर काम लिया है जो आदेश क्षैत्राधिकार विहिन आदेश होने से निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट का यह तर्क भी है कि जोधसिंह की पत्नी सुमन कंवर जीवित है तो रसाल कंवर दूसरा पत्नी के तौर पर जोधसिंह की पत्नी यही बन सकती थी, ऐसा हिन्दु विवाह अधिनियम में प्रावधान है।

अतः आदेश दिया जाता है कि तहसील देसुरी के आदेश दिनांक 31.07.2019 को ग्राम नारलाई के म्यूटेशन संख्या 148 को स्वीकृत करने संबंधी आदेश पारित किया है उसे निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ तहसीलदार को इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित की जाती है कि सभी पक्षकारान को अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट को समुचित नोटिस तामिल कराते हुए जवाब साक्ष्य सबूत लेकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक..9/1/21..........को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(राधेश्याम)
अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
आर.ए.एस.)